पत्रांक–2ब० / जला०–01–05 / 2019 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

के०डी० प्रौज्ज्वल,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, मधुबनी।

पटना, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में भीषण गर्मी के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या के निदान हेतु नगर परिषद्, मधुबनी में 10 स्टैंड पोस्ट सहित सबमर्सिबल पम्प एवं 36 स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापित करने हेतु ₹51.56396 लाख (एकावन लाख छप्पन हजार तीन सौ छियानवे रु०) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण राज्य के कतिपय नगर निकायों में पेयजल की समस्या आ रही है तथा आम नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक– 2560, दिनांक– 23.05.2019 द्वारा कतिपय निदेश दिये गये है। तद्नुसार वैसे नगर निकाय, जहाँ पेयजल निश्चय योजना / AMRUT योजना / ADB सम्पोषित योजना के अन्तर्गत हर घर नल जल (पाईप जलापूर्ति) उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है, वहाँ आम नागरिकों को पेयजल संकट से राहत पहुँचाने के लिए सबमर्सिबल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभागीय स्तर से एक मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹1.988 लाख (एक लाख अंठानवे हजार आठ सौ रु०) है। उक्त मॉडल प्राक्कलन के अनुसार सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन कर Stand Post के माध्यम से जलापूर्ति किया जा सकता है। तद्नुसार विभागीय पत्रांक– 2575, दिनांक– 23.05.2019 द्वारा सबमर्सिबल पम्प अधिष्ठापन हेतु मॉडल प्राक्कलन तथा मार्गदर्शिका सभी नगर निकायों को प्रेषित किया गया है। इसके अन्तर्गत 01 वार्ड में अधिकतम 02 सबमर्सिबल अधिष्ठापित किया जा सकता है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक– 2644, दिनांक– 28.05.2019 द्वारा प्रेषित मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप आवश्यकतानुसार सबमर्सिबल के अधिष्ठापन हेतु राशि का माँग पत्र उपलब्ध कराने का निदेश सभी नगर निकायों को दिया गया है।

3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधुबनी के पत्रांक– 44, दिनांक– 16.05.2019 द्वारा नगर परिषद्, मधुबनी के कुल 30 वार्डो में 30 स्टैंड पोस्ट सहित सबमर्सिबल पम्प अधिष्ठापित करने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

4. विदित हो कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत नगर परिषद्, मधुबनी के 07 वार्डो में हर घर नल का जल उपलब्ध कराया जा चुका है एवं 18 वार्डो में जल स्त्रोत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। इस प्रकार इन जल स्त्रोतों में 36 स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापित कर एवं शेष 05 वार्डो के

लिए कुल 10 स्टैंड पोस्ट सहित सबमर्सिबल पम्प अधिष्ठापित कर नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है।

5. उक्त के आलोक में निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर परिषद्, मधुबनी क्षेत्रान्तर्गत मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप कुल 10 स्टैंड पोस्ट सहित सबमर्सिबल पम्प एवं 36 स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापन हेतु ₹51.56396 लाख (एकावन लाख छप्पन हजार तीन सौ छियानवे रु०) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप प्रति इकाई दर	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
नगर परिषद्, मधुबनी	नगर परिषद्, मधुबनी क्षेत्रान्तर्गत 18 वार्डों में कुल 36 स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापन कार्य।	0.88011	31.68396
	नगर परिषद्, मधुबनी क्षेत्रान्तर्गत कुल 05 वार्डो में 10 स्टैंड पोस्ट सहित सबमर्सिबल पम्प अधिष्ठापन कार्य।	1.98800	19.88000
		कुल योग	51.56396

6. उक्त योजना का कार्यान्वयन नगर परिषद्, मधुबनी द्वारा कराया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जा रही है :–

(i) योजना का कार्यान्वयन विभागीय पत्रांक– 2575, दिनांक– 23.05.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल प्राक्कलन एवं मार्ग–दर्शिका के अनुसार कराया जाएगा।

(ii) कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर नगर विकास एवं आवास विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग का नाम, योजना का नाम, उसकी लागत, तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iii) योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

8. उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन नगर परिषद्, मधुबनी द्वारा शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि की अधियाचना आपदा प्रबंधन विभाग से की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग से राशि प्राप्त होने के उपरांत नगर परिषद्, मधुबनी को उपलब्ध करायी जाएगी।

विश्वासभाजन,
ह०/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–05/2019 2933 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–11-6-19

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/6/19

सरकार के उप सचिव।